आवेदन पत्र का मूल्य : रू. 1000/–

njorh v/;;u ,o lrr f'k{kk dsUnz

uohu v/;;u dsUnz izos'k ij;u@uohuhdj.k grq vkosnu i=

o"kZ 2009&10

vkosnu i= tek djus dh vfUre frfFk % 15 vDVwcj 2009
foyEc 'kqYd :i;s % 500@& ds lkFk vfUre frfFk % 30 vDVwcj 2009

egkRek xka/kh fp=dwV xzkeksn; fo'ofo|ky; fp=dwV] ftyk&lruk] e/; izns'k

njHkk"k & njorh v/;;u ,o lrr f'k{kk dsUnz % 07670&265460] 265693]

d|y lfpo % 07670&265411
o|c lkbV % www.ruraluniversity-chitrakoot.org

ifjp;

आध्यात्मिक आस्था और अनुभूति का केन्द्र चित्रकूट प्राचीनकाल से ही महिमान्वित रहा है। यह अरण्य तीर्थ राम कथा के अनेक प्रसंग स्थलों का साक्षी तो है ही शिक्षा, अनुसंधान और स्वाध्याय के विश्व के प्राचीनतम् केन्द्रों में से एक है। महर्षि अत्रि और अनुसूया द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम अध्ययन केन्द्र यहीं स्थित था । चित्रकूट की पुण्य भूमि महर्षि सुतीक्षण, भरद्वाज, सरभंग, वाल्मीकि आदि महापुरूषों की साधनास्थली रही है। देश के सभी भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा के लिए ऋषियों–मुनियों के आश्रम में आते थे। चित्रकूट में प्रभु राम ने वन प्रान्तर में रहने वाले वनवासी बन्धुओं और जीव–जन्तुओं के पारस्परिक मेल से युगानुकूल सामाजिक संरचना का संदेश दिया था । आदर्श समाज की प्रेरणा देने वाले ग्रन्थ श्रीरामचरित मानस की रचना की प्रेरणा भी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को इसी क्षेत्र में मिली थी।

कालान्तर में समय की उपेक्षा और संसाधनों के अभाव से चित्रकूट का विकास प्रभावित हुआ। कृषि और उद्योगों के अपर्याप्त विकास ने गाँवों को अभावग्रस्त बना दिया। ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास और भविष्य की पीढ़ी के नवनिर्माण के लिए पुण्य सलिला मंदाकिनी के नैसर्गिक रम्य तट पर 12 फरवरी, 1991 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मध्यप्रदेश शासन के एक पृथक अधिनियम (9, 1991) द्वारा महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना सतना जिले के चित्रकूट (म.प्र.) में की गई । विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य पूज्य बापू जी के ग्रामीण विकास की परिकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए बौद्धिक मानव संसाधन तैयार करना तथा विकसित तकनीकी का प्रसार करना है।

ग्रामोदय विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों का लक्ष्य ग्रामीण विकास है। विश्वविद्यालय विगत डेढ़ दशक से शिक्षा, शोध और प्रसार की गतिविधियों से ग्रामीण विकास के सभी आयामों पर अपने योगदान की छाप छोड़ने में सफल रहा है। विश्वविद्यालय तकनीक विकास, ग्रामीण जीविकोपार्जन के लिए अक्षय कृषि की विधियों के अनुसंधान और प्रस्फुरण, ग्रामीण संसाधनों के उचित व युक्तियुक्त प्रबंधन तथा ग्रामीण जनों की सबलता और जागरूकता के लिए जन शिक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी, वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग, कारीगरों के कौशल में वृद्धि और महिलाओं के सशक्तीकरण में विश्वविद्यालय की महती भूमिका है।

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा को बढ़ाया देने के लिए अनेक दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है।

ग्रामीण विकास से संबद्ध उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामों के विकास के अभिनव मॉडल तैयार करने में विश्वविद्यालय की अहम् भूमिका है। आज ग्रामोदय संस्कृति, विकास और आधुनिकता को जोड़कर एक नवीन दर्शन प्रस्तुत कर रहा है।

f'k{k.k] 'kks/k ,oa foLrkj gsrq vf/kfu;e esa izko/kku %

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अधिनियम क्रमांक 9, 1991 के अध्याय–2 की धारा–4 जो निम्नांकित है – के अनुसार इस विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक, शोध एवं विस्तार के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चलाये जा सकेंगे :–

"With respect to teaching, research and extension programmes of rural development education, the territorial jurisdiction and responsibility for this university shall extend to the entire state of Madhya Pradesh."

nwjorhZ v/;;u ,oa lrr~ f'k{kk dsUnz %

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश है। विश्वविद्यालय के mandate के क्रियान्वयन की अगली कड़ी के रूप में दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा संस्थान की स्थापना 1994 में की गयी।

दूरवर्ती शिक्षा से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 12, म.प्र. शासन के उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक एफ. 1/06/05/सीसी/अड़तीस/910 दिनांक 14/08/2006 द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रबन्ध मण्डल की 34वीं बैठक में प्रस्तुत पुनर्संरचना समिति की रिपोर्ट को अनुमोदित किया गया। जिसमें शिक्षा, ललितकला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र की स्थापना की गयी और दिनांक 26/10/2006 को अधिसूचित किया गया।

mn~ns'; ,oa dk;Z %

1. प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 75 प्रतिशत भाग गांवों में रहती है और उनमें भी लगभग 72 प्रतिशत भाग ऐसे लोगों का है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इनके शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने, आत्मनिर्भर बनाने, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने एवं इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों को समृद्ध करने के लिए

दूरवर्ती माध्यम से उपयोगी एवं उत्पादक जनशक्ति तैयार करना मुख्य उद्‌देश्य में सम्मिलित है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उन युवक–युवतियों को जो कि समयाभाव, भौगोलिक बाधाओं, आर्थिक तंगी अथवा अन्य कारणोंवश नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं – उन्हें उनके पास ही ऐसी शिक्षा/प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जो उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने में मददगार हो सके।

3. ग्रामोपयोगी शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध एवं प्रसार की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य में छात्र सहायता सेवा के रूप में दूरवर्ती अध्ययन केन्द्र स्थापित करना।

4. ग्रामोन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं संचालन करना।

v/;;u dsUnz gsrq lkekU; tkudkjh

1- vkonsd laLFkk %

1. मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एवं स्थापित निम्नांकित प्रकार के संस्थान जो उच्च शिक्षा से परिपूर्ण विकासशील समाज के निर्माण में अपना योगदान देने को इच्छुक हैं, आवेदन कर सकते हैं। मान्य किये जाने हेतु महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्नांकित मानदंडों को करना अनिवार्य होगी :—

   अ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हों,

   अथवा

   ब) शैक्षणिक गतिविधियों के विकास में संलग्न ऐसे संस्थान/महाविद्यालय जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो,

   अथवा

   स) विधिसम्मत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थान (एन.जी.ओ./ट्रस्ट/फाउण्डेशन) जिनकी नियमावली व उद्देश्य में उच्च शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम चलाने का प्रावधान हो और उन्हें पंजीकरण एजेन्सी द्वारा मध्य प्रदेश में कार्यक्षेत्र बनाने की अनुमति प्राप्त हो अथवा अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्षेत्र बनाने हेतु अधिकृत हो।

2. उपरोक्तानुसार योग्य संस्थायें निम्नांकित उद्देश्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं :—

   अ) नवीनीकरण हेतु (यदि पूर्व में ही इस विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र के रूप में पंजीकृत था)।

   ब) नवीन अध्ययन केन्द्र हेतु।

2- dsUnz gsrq U;wure vfuok;Z lalk/ku %

अध्ययन केन्द्र हेतु संस्था के पास निम्नानुसार संसाधन अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिये ।

1. Hkou ,oa tehu % संस्था के पास अपनी जमीन एवं भवन हो अथवा कॉलेज/सोसायटी/ट्रस्ट/फाउण्डेशन के नाम भवन का किरायानामा हो।

2. ijke'kZ d{k (Counseling room) : विषय विशेषज्ञ द्वारा छात्रों को आवश्यक परामर्श हेतु अलग से कक्ष हो।

3. Dykl :e % सम्पर्क कक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु फर्नीचरयुक्त आवश्यक शिक्षण कक्ष, जिसमें 100 विद्यार्थियों की सम्पर्क कक्षाओं की व्यवस्था हो। प्रत्येक कमरे का साइज 15 x 20 अर्थात 300 वर्गफीट हो।

4. laxks"Bh d{k % वीडियो कान्फ्रेन्सिंग रिसीविंग उपकरण से युक्त एक अलग संगोष्ठी कक्ष हो।

5. iqLrdky; % विभिन्न विषयों की 5000 संदर्भ ग्रंथ से युक्त एक पुस्तकालय हो।

6. iz;ksx'kkyk % प्रायोगिक विषय यथा – Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Geo-informatics, IT, Food Sc., Home Science के विषयों हेतु आवश्यक उपकरण और साज–सज्जायुक्त विषयवार प्रयोगशाला उपलब्ध हो।

7. lEidZ ,oa lwpuk d{kk % छात्र सहायता हेतु प्रवेश एवं परीक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय के नियम, प्रक्रिया, अकादमिक कैलेण्डर आदि की सूचना, अध्ययन सामग्री वितरण एवं सुसंगत अन्य जानकारी प्रदाय करने हेतु क्रियाशील स्थायी टेलीफोन, फैक्स, इन्टरनेट से युक्त एक अलग कक्ष हो।

8. f'k{kd@fo"k; fo'ks"kK % जिन विषयों के संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित हो उन विषयों के छात्र सहायता हेतु सम्पर्क कक्षाओं, परामर्श, प्रदत्त कार्यों पर छात्र को आवश्यक दिशा–निर्देश एवं सतत मूल्यांकन हेतु विषयवार यू.जी.सी. के अर्हताधारी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक शिक्षक उपलब्ध हों।

9. i`'kklfud LVkQ % अध्ययन केन्द्र संचालन में कार्यालयीन एवं शिक्षणेत्तर कार्यों हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक स्टाफ उपलब्ध हो।

3- Nk= la[;k %

अध्ययन केन्द्रों की उपयुक्तता, पंजीकरण और नवीनीकरण छात्रों की संख्या पर निर्भर है। अतः यह अनिवार्य है कि प्रत्येक अकादमिक सत्र में प्रत्येक विषय में कम से कम 10 छात्र पंजीकृत हो और कुल संख्या 100 से कम न हो।

4- vkosnu gsrq egRoiw.kZ funsZ'k %

1. अध्ययन केन्द्र के रूप में कार्य करने की इच्छुक संस्था को निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय से रूपये 1000/– के बैंक ड्राफ्ट, जो कि कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पक्ष में और चित्रकूट, जिला सतना में देय हो, भेजकर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट– www.ruraluniversity-chitrakoot.org पर भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करके रूपये 1000/– के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रेषित किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट और सत्य जानकारी के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं सुसंगत दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व स्वप्रमाणित करते हुए संलग्न कर प्रेषित किया जाये।
3. इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने से संबंधित प्रस्ताव आवेदक संस्था के प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित होना चाहिये।
4. एक संस्था को एक ही स्थान पर केवल एक अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
5. आवेदन पत्र के साथ निरीक्षण एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में रूपये 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, महात्मा

गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पक्ष में और चित्रकूट, जिला–सतना में देय हो, संलग्न किया जाये।

6. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, जिला–सतना, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाये।

5- Ñi;k ukV dj fd &

1. आवेदन के पूर्व जिन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदक संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, उन पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित मापदण्ड और निर्देश का भलीभांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत किया जाये।
2. निरीक्षण एवं प्रोसेसिंग शुल्क के बिना आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/आधारहीन जानकारी से युक्त आवेदन पत्र निरस्त योग्य होगा।
3. डाक में विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।
4. अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा।
5. निरीक्षण एवं प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ली गयी राशि वापसी योग्य नहीं है।
6. आवेदन करने अथवा निरीक्षण कार्यवाही को ही अध्ययन केन्द्र संचालन की अनुमति नहीं माना जाय। यह मात्र एक प्रक्रिया है। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से निर्गत आदेश एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र ही मान्य हैं।
7. विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अध्ययन केन्द्र दूरवर्ती अध्ययन कार्यक्रमों के विस्तार हेतु एक पंजीकृत अध्ययन केन्द्र है। इसे ग्रामोदय विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में कतई न माना जाय । न ही अध्ययन केन्द्र को म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि. से संबद्ध महाविद्यालय/कालेज/इंस्टीट्यूट माना जायेगा।
8. गुणवत्तापूर्ण अध्ययन/अध्यापन की दृष्टि से अध्ययन केन्द्र हेतु आवेदक संस्था को स्वयं के व्यय पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के रिसीविंग उपकरणों को अनिवार्य रूप से लगाने के लिये वचनबद्ध होना पड़ेगा।
9. अध्ययन केन्द्र पंजीकरण अवधि मात्र एक वर्ष की होगी।

10. बगैर किसी कारण को बताये आवेदन पत्र स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

11. किसी भी प्रकार का वाद जिला–सतना, मध्य प्रदेश स्थित न्यायालय के अधीन होगा।

6- v/; ;u dUn iath;u ifØ;k %

अध्ययन केन्द्र विषयक प्रक्रिया निम्नानुसार अपनायी जाती है :–

1. पूर्ण रूप से भरे हुए और निर्धारित तिथि तक प्राप्त सशुल्क आवेदन पत्रों और अध्ययन केन्द्र हेतु उपयुक्तता के निरीक्षण हेतु आवेदक संस्थाओं की सूची तैयार की जाती है।

2. आवेदक संस्थाओं का निरीक्षण कराया जाता है।

3. निरीक्षण दल निरीक्षण के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर अपनी लिखित आख्या प्रस्तुत करता है।

4. निरीक्षण दल की आख्या पर सक्षम प्राधिकारी, विद्या परिषद विचार कर आवेदक संस्थाओं को दूरवर्ती अध्ययन केन्द्र के रूप में स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान करने संबंध में आवश्यक आदेश पारित करती है।

5. विद्या परिषद द्वारा पारित निर्देशों की जानकारी आवेदक संस्थाओं को प्रदान की जाती है और जिन संस्थाओं को अध्ययन केन्द्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त होती है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अनुबंध पत्र (MOU) पर हस्ताक्षर हेतु उपस्थित होना होगा।

6. **vu|c/k (MOU) d i|o vko|nd l|LFkk l fuEukul|kj jkf'k fo'ofo|ky; e tek djk;h tkrh g %&**

   - नवीन अध्ययन केन्द्र के पंजीयन हेतु शुल्क राशि रू. 100000/– (रू. एक लाख मात्र) एवं सुरक्षा राशि रू. 10000/– (रू. दस हजार मात्र) अर्थात कुल राशि रू. 1,10000/– (रू. एक लाख दस हजार मात्र) के बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, महात्मा गांधी चित्रकूट

ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पक्ष में और चित्रकूट, जिला–सतना में देय हो, जमा करना अनिवार्य है। पंजीयन शुल्क के रूप में ली गयी राशि वापसी योग्य नहीं है।

- पंजीकृत अध्ययन केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु केन्द्र को स्वीकृत पाठयक्रम का पाठ्यक्रमवार निर्धारित वार्षिक शुल्क (प्रायोगिक विषयों हेतु प्रति पाठ्यक्रम रू. 2500/– एवं अप्रायोगिक विषयों हेतु प्रति पाठ्यक्रम रू. 2000/–) जमा करना अनिवार्य है।

7. विश्वविद्यालय के कुलसचिव के साथ आवेदक संस्था की ओर से अनुबंध के समय अनुबंध पर हस्ताक्षर किये जाने हेतु संस्था के लेटर पैड पर सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी/प्रबंध कारिणी की ओर से अधिकार पत्र एवं समन्वयक का नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

7- v/; ;u dUn fujLrhdj.k %&

निम्नांकित दशा में, किसी भी समय किसी भी अध्ययन केन्द्र को समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है :–

1. अध्ययन केन्द्र द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क शैक्षणिक/प्रायोगिक सुविधा को विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार उपलब्ध कराने में असफल रहने पर।
2. नियमानुसार निःशुल्क सैद्धान्तिक/प्रायोगिक सम्पर्क कक्षायें आयोजित नहीं कराने पर।
3. समस्या समाधान के लिये सम्पर्क एवं परामर्श, अथवा उन्हें प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शन दिये जाने हेतु निःशुल्क संबंधित विषय विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं किये जाने पर।
4. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों हेतु भेजी गयी अध्ययन सामग्री, पहचान पत्र, अंकसूची, अकादमिक कैलेण्डर, समय–सारिणी व इससे सुसंगत अन्य जानकारी छात्रों को निःशुल्क वितरित नहीं करने पर।
5. विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के प्राप्ति और निर्गत का उचित रिकॉर्ड नहीं रखने पर।

6. अध्ययन केन्द्र की गतिविधियों में लिंग, जाति, क्षेत्र, सम्प्रदाय अथवा राजनैतिक अभिरूचि के साथ भेद–भाव अपनाने पर।

7. पंजीकृत अध्ययन केन्द्र द्वारा नियमानुसार पंजीकृत विद्यार्थियों को समस्त सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जायेगी। इसके एवज में पंजीकृत विद्यार्थी से अध्ययन केन्द्र द्वारा कोई भी राशि वसूल करने पर ।

8. अनुबंध के उल्लंघन पर।

8- fujLrhdj.k mijkUr Nk= lgk;rk %

किसी अध्ययन केन्द्र के निरस्तीकरण के पश्चात् उससे संबंधित छात्रों को वि.वि. की सुविधानुसार अन्य अध्ययन केन्द्र में संयोजित करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

9- lapkyu O;; %&

अध्ययन केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु छात्रों से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की 30 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय द्वारा MOU शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक पाठ्यक्रम संचालन के पश्चात अध्ययन केन्द्र को प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान अध्ययन केन्द्रों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है और न ही इसके अतिरिक्त उन्हें पंजीकृत छात्रों से कोई भी राशि वसूलने की अनुमति प्राप्त है।

njorh ek/;e ls lapkfyr dk;Øe

- परास्नातक
- स्नातक
- पी.जी. डिप्लोमा
- डिप्लोमा

fooj.k	fofHkUu dk;Øeksa ds vUrxZr lapkfyr ikB~;Øeksa dh dqy la[;k			
	ijkLukrd	Lukrd	ih-th- fMIyksek	fMIyksek
प्रायोगिक	7	7	4	2
अप्रायोगिक	8	2	–	–
dqy	15	9	4	2

izos'k ,oa ijh{kk ls lacaf/kr lkekU; tkudkjh

izos'k

1. प्रवेश हेतु विवरणिका (प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र/आवेदन) जिसमें प्रवेश, संबंधित विषय में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता, न्यूनतम अवधि, पाठ्यक्रम शुल्क एवं परीक्षा आदि से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी का समावेश किया गया है, निर्धारित शुल्क पर इस वि. वि. के पंजीकृत अध्ययन केन्द्र/विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
2. आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.ruraluniversity-chitrakoot.org पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विवरणिका के निर्धारित मूल्य एवं पाठ्यक्रम शुल्क के साथ जमा किये जा सकते हैं।
3. निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन, जो वांछित संलग्नकों से युक्त एवं आवेदक के हस्ताक्षर सहित निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अध्ययन केन्द्रों/विश्वविद्यालय में स्वीकार किये जाते हैं। बिना निर्धारित शुल्क के तथा अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त योग्य हैं।

fo'ks"krk;sa %&

1. विशेष पाठ्यक्रमों को छोड़कर सामान्यतः दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से चलाये जा रहे पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाती है।
2. आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। जो अभ्यर्थी शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी या अन्य किसी प्रकार की संस्थाओं में कार्यरत अथवा अन्य व्यवसाय में संलग्न हैं, वे भी दूरवर्ती माध्यम से चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं।
3. पाठ्यक्रम का सिलेबस और अध्ययन सामग्री छात्रों को निःशुल्क प्रदाय की जाती है।
4. सभी पाठ्यक्रम वार्षिक पद्धति से संचालित है।
5. एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित कुल शुल्क क्रमशः एक किश्त, दो किश्त एवं तीन किश्तों में देय है।

6. पाठ्यक्रमों को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर दिया जाता है। न्यूनतम अवधि 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 03 वर्ष वाले पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि क्रमशः 3 वर्ष, 5 वर्ष एवं 07 वर्ष निर्धारित है।

ik=rk %&

1. वही अभ्यर्थी अस्थायी प्रवेश के पात्र होंगे जिन्होंने संबंधित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अर्हता प्राप्त कर ली है।
2. मान्य बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्री/प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य है।

egRoiw.kZ rF; %&

1. अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रवेश आवेदन फार्म में संलग्न दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये। साथ ही संबंधित अध्ययन केन्द्र जहां भरे हुए आवेदन पत्र स्वीकार किये गये हैं, वहां के केन्द्र प्रभारी का यह दायित्व है कि वह संलग्न दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मिलान करे और पुष्टि हेतु अपना हस्ताक्षर कर विश्वविद्यालय को अग्रसारित करे। ऐसा न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
2. उपरोक्तानुसार अध्ययन केन्द्र द्वारा दायित्व की पूर्ति न किये जाने पर यदि कोई वाद उत्पन्न होता है तो इसके लिये संबंधित अध्ययन केन्द्र उथ्त्तरदायी होगा।
3. किसी भी प्रकार का शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार्य है।
4. किसी भी पाठ्यक्रम के संचालन किये जाने अथवा नहीं किये जाने का अंतिम अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

ijke'kZ l= %

- प्रत्येक पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षायें विश्वविद्यालय परिसर अथवा पंजीकृत अध्ययन केन्द्रों पर संचालित की जायेगी। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष कम से कम 15 दिनों की सैद्धान्तिक कक्षायें होंगी एवं 10 दिनों की प्रायोगिक कक्षायें चलेंगी।

ijh{kk

1- ijh{kk vkosnu i= %&

1.1 पंजीकृत छात्र ही सम्बन्धित परीक्षा के आवेदन पत्र भरने के पात्र होंगे।

1.2 निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए आवेदन हस्ताक्षर सहित निर्धारित शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक अध्ययन केन्द्रों/विश्वविद्यालय में जमा किये तथा अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

2- izos'k i= %&

2.1 पूरे शुल्क की अदायगी एवं अन्य अकादमिक प्रक्रियाओं की पूर्णता के आधार पर परीक्षा में बैठने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे।

2.2 प्रवेश पत्र के आधार पर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश एवं प्रश्न पत्र देने की पात्रता होगी। प्रवेश पत्र खो जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही दूसरी प्रति विश्वविद्यालय/परीक्षा अधीक्षक यदि उचित समझेंगे तो जारी कर सकेंगे।

2.3 परीक्षा के दौरान मांगे जाने पर छात्र को प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3- vkUrfjd ,oa ckg; ijh{kk %&

3.1 छात्रों का मूल्यांकन सतत् या आन्तरिक (प्रदत्त कार्य) द्वारा एवं निर्धारित अवधि पूर्ण करने पर बाह्य परीक्षा द्वारा किया जायेगा।

3.2 आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं का अनुपात 30:70 होगा। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 100 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन होगा।

3.3 परीक्षाफल आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में मिले अंकों के योग के आधार पर तैयार किया जायेगा और उसी के आधार पर श्रेणी का निर्धारण किया जायेगा।

3.4 सैद्धांतिक परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

3.5 प्रायोगिक परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु बाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त/अनुमोदित किये जायेंगे जो निर्धारित केन्द्रों पर प्रायोगिक परीक्षा का कार्य सम्पादित करेंगे।

3.6 आन्तरिक परीक्षाओं में छात्र का उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है किन्तु बाह्य परीक्षा में पृथक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाह्य परीक्षाओं में प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र में स्नातक तथा डिप्लोमा स्तर पर 33 प्रतिशत तथा परास्नातक एवं पी.जी.डिप्लोमा स्तर पर प्रत्येक विषय/प्रश्नपत्र में 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3.7 छात्र यदि किसी सैद्धांतिक प्रश्न पत्र की आन्तरिक परीक्षाओं में अनुपस्थित होता है ? तो उसे आन्तरिक और यदि सैद्धांतिक या प्रायोगिक बाह्य परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे बाह्य परीक्षा पुनः देनी होगी।

4- eY;kadu %&

4.1 आन्तरिक मूल्यांकन के लिए प्रदत्त कार्य (Assignment) छात्रों को लिखकर जमा करना होगा। इसके लिए प्रश्न–पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा Assignment छात्र तैयार करके अध्ययन केन्द्रों पर जमा करेंगे। इस Assignment का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। अध्ययन केन्द्र प्रदत्त कार्य को छात्रों से एकत्र करके विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।

4.2 मुख्य परीक्षा में छात्रों को केवल सैद्धांतिक परीक्षा में कृपांक की पात्रता होगी। कृपांक स्नातक स्तर पर 3 अंकों का एवं डिप्लोमा, पी.जी. डिप्लोमा एवं परास्नातक स्तर पर 1 अंक की पात्रता होगी। ये उसी दशा में प्रदान किये जायेंगे जब इन्हें प्रदान करने से छात्र उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहा हो। कृपांक अधिकतम दो विषयों/प्रश्नपत्रों में दिये जायेंगे।

4.3 यदि 1 अंक की कमी से छात्र किसी श्रेणी से वंचित होता है तो 1 अंक कुलपति ग्रेस मार्क के नाम पर कृपांक दिया जायेगा किन्तु कृपांक पाने वाले छात्रों को यह अंक नहीं दिया जायेगा।

5- mRrh.k ,o Js.kh fu/kkj.k %&

5.1 प्रत्येक प्रश्न पत्र/विषय की बाह्य परीक्षा में छात्र को सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/स्नातक स्तर पर 33 प्रतिशत अंक एवं पी.जी. डिप्लोमा/परास्नातक स्तर पर 36 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक पाने पर छात्र को उस विषय/प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया कम अंक पाने पर छात्र को उस विषय/प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। जिन पाठ्यक्रमों के एक विषय में दो या दो से अधिक प्रश्न पत्र हों उनमें छात्र को बाह्य परीक्षा में सभी प्रश्न पत्रों के अंक मिलाकर निर्धारित अंक प्राप्त करने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंकों के आधार पर श्रेणी निर्धारण निम्नानुसार होगा।

5-2 lVhfQdV] fMIykek] Lukrd Lrj %&

33 प्रतिशत से नीचे अनुत्तीर्ण

33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 45 प्रतिशत से कम तृतीय श्रेणी

45 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम द्वितीय श्रेणी

60 प्रतिशत या इससे ऊपर किन्तु 75 से कम प्रथम श्रेणी

75 प्रतिशत या इससे ऊपर विशेष योग्यता के साथ

5.3 पी.जी. डिप्लोमा एवं परास्नातक

36 प्रतिशत से नीचे अनुत्तीर्ण

36 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 45 प्रतिशत से कम तृतीय श्रेणी

48 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से कम द्वितीय श्रेणी

60 प्रतिशत या इससे ऊपर किन्तु 75 से कम प्रथम श्रेणी

75 प्रतिशत या इससे ऊपर विशेष योग्यता के साथ

6- fjihV ijh{kk dh ik=rk

6.1 वे छात्र जो किसी विषय/प्रश्न पत्र में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सकेंगे वे उस विषय/प्रश्न पत्र में रिपीट परीक्षा देने के पात्र होंगे। रिपीट परीक्षा देने के लिए पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में जितने अवसर मिलेंगे, उतनी बार दे सकेंगे।

6.2 रिपीट परीक्षा वर्ष में केवल एक बार ही मुख्य परीक्षा के साथ आयोजित की जायेगी जिसके लिए अलग से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने पर परीक्षा हेतु पात्र होंगे।

6.3 किसी पाठ्यक्रम विशेष को पूर्ण करने की निर्धारित समय सीमा के अन्दर छात्र को सिर्फ रिपीट विषय/प्रश्न पत्र का शुल्क ही देय होगा। किन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि के बाद भी छात्र के रिपीट विषय/प्रश्न पत्र उत्तीर्ण नहीं होते तो उसे पुनः पाठ्यक्रम शुल्क जमाकर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

7- mikf/k] i=kikf/k ikIr dju dh vof/k %

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि निम्नानुसार होगी :–

- 01 वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 03 वर्ष
- 02 वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 05 वर्ष
- 03 वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए 07 वर्ष

यदि उक्त अवधि में छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे नये सिरे से पंजीयन कराना होगा।

8- vufpr lk/ku idj.k

8.1 किसी प्रश्नपत्र में यदि कोई छात्र अनुचित साधनों के प्रयोग में पाया जाता है तो उसके उस प्रश्न पत्र की परीक्षा स्वमेव निरस्त समझी जायेगी। यदि एक ही परीक्षा के दौरान छात्र दो बार ऐसे प्रकरणों में संलिप्त पाया जाता है तो उस वर्ष की पूरी परीक्षा निरस्त समझी जायेगी। दो बार से अधिक अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पाए जाने पर पाठ्यक्रम से निष्कासित कर दिया जायेगा।

8.2 विश्वविद्यालय के संज्ञान में यदि यह तथ्य आता है कि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है या प्रयोग हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पूरे केन्द्र की परीक्षा निरस्त की जायेगी।

9- 'kYd %&

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हता एवं पाठ्यक्रम शुल्क की दरें परिशिष्ट–''अ'' पर अंकित है। तदानुसार ही शुल्क लिया जायेगा।

10- ijh{kk dsUnz %&

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र ही परीक्षा केन्द्र होंगे। परीक्षा पंजीकृत अध्ययन केन्द्रों पर ही आयोजित हो – यह अनिवार्य नहीं है।

11. iqulZ.kuk %&

किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर किन्हीं दो विषय/प्रश्नपत्र में छात्र अधिकतम पुनर्गणना करा सकेगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क प्रति प्रश्न के हिसाब से देय होगा। पुनर्गणना का आवेदन परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिवस के भीतर करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दिवस के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुनर्गणना में अंकों में जो भी परिवर्तन होगा वही माना जायेगा।

uksV %&

- परीक्षा के नियमों के संदर्भ में जहां अस्पष्टता होगी वहां महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश के नियमित पाठ्यक्रमों के नियम व छात्र अनुशासन के नियम प्रभावी होंगे।

- यदि कोई पाठ्यक्रम किसी मान्यतादायी निकाय यथा एन.सी.टी.ई., ए.आई.सी.टी.ई., आई.सी.ए.आर., यू.जी.सी., मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग इत्यादि के अनुमति से संचालित होता है तो उस पर मान्यतादायी निकाय के नियम बाध्यकारी होंगे।

- परीक्षा संबंधी अन्य निर्देश जो आवश्यक होंगे, समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे।

lEidl gsrq irk%

मुख्य समन्वयक

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय

चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश

दूरभाष : 07670–265460

वेबसाइट : www.ruraluniversity-chitrakoot.org

nwjorhZ v/;;u ,oa lrr f'k{kk dsUnz

egkRek xka/kh fp=dwV xzkeksn; fo'ofo|ky; fp=dwV] ftyk&lruk] e/;izns'k

¼uohu v/;;u dsUnz@uohuhdj.k½ gsrq vkosnu i=

lkekU; funsZ'k %

- सभी कॉलम की पूर्ति आवेदक संस्था द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अधूरा आवेदन पत्र निरस्त निरस्त कर दिया जायेगा ।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अंत में दिये गये जांचसूची अनुसार अवश्य संलग्न किया जाये।

'kqYd fooj.k

- आवेदन पत्र शुल्क : बैंक का नाम .... ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... राशि रू. 1000/– अथवा वि.वि. रसीद क्र. .... दि. ....
- बिलम्ब शुल्क (यदि देय हो) : बैंक का नाम .... ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....राशि रू. 500/– अथवा वि.वि. रसीद कमांक................दि........
- निरीक्षण एवं प्रोसेसिंग शुल्क : बैंक का नाम .... ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक ....राशि रू. 10000/– अथवा वि.वि. रसीद कमांक.................दि............

1. आवेदक संस्था/महाविद्यालय/ट्रस्ट/सोसायटी का नाम
2. पत्राचार का पता

   ब्लाक/तहसील

   जिला :

   संभाग :

   राज्य : मध्यप्रदेश, पिन कोड

3. एस.टी.डी. कोड सहित दूरभाष :

4. मोबाइल नं. :

5. फैक्स नं. :

6. ई–मेल :

7. वेबसाइट :

8. संस्था / महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम :

9. प्राचार्य की शैक्षणिक योग्यता :

10. प्रशासनिक अनुभव (वर्षों में) (शहरी / ग्रामीण)

अध्यापन अनुभव (वर्षों में)

11. संस्था की स्थिति (शहरी / ग्रामीण)

सबसे नजदीक निम्नांकित स्थानों की दूरी किलोमीटर में

1. रेलवे स्टेशन
2. पुलिस स्टेशन
3. डाकघर
4. राष्ट्रीयकृत बैंक

12. संस्था द्वारा किस स्तर तक की शिक्षा का संचालन किया जा रहा है ?
(परास्नातक / स्नातक, पी.जी. डिप्लोमा, डिप्लोमा, हायर सेकेण्डरी, सीनियर सेकेण्डरी)

13. संस्था में शिक्षण हेतु प्रचलित पद्धति (हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / अन्य)

14. **A** क्या आवेदक संस्था सोसायटी / ट्रस्ट / फाउण्डेशन के रूप में पंजीकृत है ? यदि हां तो किस अधिनियम के अन्तर्गत

❖ संस्था के पंजीकरण का वर्ष एवं पंजीकरण : संलग्नक क्र–

क्रमांक (मान्यता / पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, कार्य, उद्देश्य एवं नियमावली की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) संलग्नक क्र–

❖ संस्था की प्रबंधकारिणी की सूची संलग्न करें : संलग्नक क्र–

❖ संस्था सोसायटी / ट्रस्ट / महाविद्यालय / फाउण्डेशन किस अवधि तक के लिये मान्य है ? :

❖ सोसायटी / ट्रस्ट / फाउण्डेशन के अध्यक्ष / प्रबंधक का नाम एवं कार्यालय का पता एवं एस.टी.डी. कोड सहित दूरभाष, मोबाइल नं. :

14. **B** क्या आवेदक संस्था / महाविद्यालय किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है ? हां / नहीं। यदि हां तो सम्बद्धता संबंधी पत्र संलग्न करें और निम्नांकित का उल्लेख करें :–

- ❖ किस विश्वविद्यालय से संबद्ध है ? संलग्नक क्र–
- ❖ संबद्धता क्रमांक
- ❖ संबद्धता का वर्ष
- ❖ संबद्धता अस्थाई है अथवा स्थाई
- ❖ यदि संबद्धता अस्थाई है तो किस अवधि तक के लिए मान्य है ?
- ❖ कभी मान्य अवधि के बीच में ही संबद्धता समाप्त की गयी हो तो समाप्ति के कारणों का उल्लेख करें।
- ❖ संबद्धता के लिये यदि कोई शर्त हो तो उल्लेख करें

15- क्या महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के दूरवर्ती कार्यक्रमों को संचालित करने संबंधी प्रस्ताव प्रबंधकारिणी से अनुमोदित है ? हां / नहीं। यदि हां तो संबंधित प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें। संलग्नक क्र–

16- संस्था अपने भवन में स्थित है अथवा किराये में :

17- भूमि, भवन संबंधी दस्तावेज / किरायानामा संलग्न करें। संलग्नक क्र–

1. संस्थान का भू–क्षेत्र एकड़ वर्गमीटर

2. निर्मित क्षेत्र वर्गमीटर

18- शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का विवरण ले आउट प्लान संलग्न करें संलग्नक क्र–

d-	Hkou dk izdkj	dejs dh la[;k	vkdkj oxZ QhV esa yEc-@pkS-	
1.	शिक्षक कक्ष			
2.	कम्पोजिट विज्ञान प्रयोगशाला			
3.	भौतिकी प्रयोगशाला			
4.	रसायन प्रयोगशाला			
5.	जीवन विज्ञान प्रयोगशाला			
6.	आई.टी./कम्प्यूटर विज्ञान प्रयोगशाला			
7.	. जियो/इनफॉरमेटिक्स प्रयोगशाला			
8.	गृह विज्ञान प्रयोगशाला			
9.	पुस्तकालय			
10.	संगोष्ठी हॉल			
11.	सम्पर्क एवं सूचना कक्ष			
12.	परामर्श कक्ष			

19. शिक्षक/विषय विशेषज्ञों की सूची — संलग्नक क्र.–

शैक्षणिक स्टाफ का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाला विषय, अनुभव आदि के विवरण सहित सूची संलग्न करें।

20. गैर शिक्षक/प्रशासनिक सहायता स्टाफ की सूची। — संलग्नक क्र.–

स्टाफ का नाम, शैक्षणिक योग्यता, उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य, अनुभव आदि के विवरण सहित सूची संलग्न करें।

f'k{kdksa dh dqy la[;k	xSj f'k{kdksa dh dqy la-	LFkk;h dh la-	va'kdkfyd dh la-

21. पुस्तकालय सुविधायें :

अ. किताबों की कुल सं.

ब. पत्र/पत्रिकाओं की सं.

स. दैनिक समाचार पत्र की सं.

22. क्या संस्था में बिजली की व्यवस्था है ?

हां / नहीं

23. क्या ऑडियो / वीडियो की सुविधायें (टी.वी / वी.सी.आर. / वी.सी.पी. / वी.सी.डी. मल्टी मीडिया कम्प्यूटर) उपलब्ध है ? हां / नहीं

24. क्या सूचना एवं सम्पर्क हेतु टेलीफोन, फैक्स, इन्टरनेट आदि की उपलब्धता ? हां / नहीं

25. वीडियो कान्फ्रेंसिंग रिसीवर से युक्त हॉल / कक्ष है ? हां / नहीं

26. आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु क्या संस्थान उपयुक्त है ? हां / नहीं। यदि हां तो निम्नांकित का विवरण प्रस्तुत करें :–

- ❖ पूर्व में सम्पन्न करायी गयी परीक्षाओं का विवरण
- ❖ फर्नीचर की पर्याप्त उपलब्धता
- ❖ सुरक्षा की व्यवस्था
- ❖ कक्ष निरीक्षक (इन्वेजिलेटरर्स) की उपलब्धता
- ❖ गेट सहित चहारदिवारी युक्त कैम्पस

27. संस्था के आय व्यय का विवरण

संलग्नक क–

(विगत वर्षों का अंकेक्षित रिपोर्ट संलग्न करें)

संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार अंकित करें :–

o"k	vk; :- e	0;; :- e	lkr

28. लेखा का अंकेक्षण चार्टड अकाउण्टेण्ट द्वार किया जाता अथवा सरकारी अंकेक्षकों द्वारा ?

29. क्या आवेदक संस्था भारत सरकार / राज्य सरकार या अन्य एजेंसी द्वारा अनुदान प्राप्त करता है ? यदि हां तो अनुदान की प्रकृति और संबंधित एजेंसी का उल्लेख करें।

30. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित दूरवर्ती कार्यक्रम / पाठ्यक्रम का नाम एवं छात्र संख्या

l= 2009 & 10

	ijkLukrd	
क्र.	प्रस्तावित पाठ्यक्रम का नाम	प्राप्त होने वाले संभावित छात्र संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	Lukrd	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	ih-th- fMIykek	
1.		
2.		
3.		
	fMIykek	
1.		
2.		
3.		

dqy la[;k				
	परास्नातक	स्नातक	पी.जी. डिप्लोमा	डिप्लोमा
प्रस्तावित कुल पाठ्यक्रम सं.				
संभावित कुल छात्र सं.				

l= 2008&09 esa LohÑr ikB~;Øeksa dk fooj.k

ijkLukrd dk;Øe			ih-th- fMIyksek dk;Øe		
Ø-	ikB~;Øe dk uke	iathÑr Nk= la-	Ø-	ikB~;Øe dk uke	iathÑr Nk= la-
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.					
7.			,Mokal fMIyksek dk;Øe		
8.			1.		
9.			2.		
10.			3.		
11.			fMIyksek dk;Øe		
12.			1.		
13.			2.		
14.			3.		
15.			lfVZfQdsV dk;Øe		
16.			1.		
17.			2.		
18.			3.		
Lukrd dk;Øe					
1.					
2.					

3.					
4.					
5.					
6.					

l{kfidk							
		परास्नातक	स्नातक	पी.जी. डिप्लोमा	एड. डिप्लोमा	डिप्लोमा	सर्टिफिकेट
	स्वीकृत कुल पाठ्यक्रम सं.						
	पंजीकृत कुल छात्र सं.						

uohuhdj.k gsrq foxr rhu o"kksa esa Nk=ksa dk iath;u dk ixfr fooj.k

l=	ijkLukrd	Lukrd	ih-th- fMIykek	,M- fMIykek	fMIykek	lfVfQdsV
2006–07						
2007–08						
2008–09						

31. कुछ वाक्यों में प्रकट करें कि – इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरवर्ती कार्यक्रम से क्यों जुड़ना चाहते हैं ?

....

....

....

i"Bkdu iek.k&i=

मैं प्रमाणित करता हूँ कि अध्ययन केन्द्र हेतु आवेदन, पंजीयन, शर्त एवं कार्यवाही आदि से संबंधित नियमों का भलीभांति अवलोकन कर समझ लिया है। आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनायें एवं जानकारी मेरी अधिकतम जानकारी में सत्य और सही है। मैं यह वचन देता हूँ कि अध्ययन केन्द्र हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों, विनियमों, सेवा–शर्तों, आदेश–निर्देश का संस्थान द्वारा पूर्णतः पालन किया जायेगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि यदि अध्ययन केन्द्र के संचालन की अनुमति संस्था को प्रदान की जाती है तो संस्था अध्ययन केन्द्र का उपयोग व्यावसायिक अथवा मुनाफा कमाने हेतु नहीं करेगी। अध्ययन केन्द्र के स्वच्छ एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष/प्रबंधक होने के नाते वह सब कुछ करूंगा जो मेरे अधिकार में है।

¼vkond lLFkk d v/;{k@ic/kd@VLVh d gLrk{kj½

ijk uke %

egj %

fnukd %

lyXudk grq tkp lph

(दस्तावेजों की प्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रति आवेदक संस्था द्वारा संलग्न किया जाना है)

संलग्न किया गया है अथवा नहीं इस हेतु बुलेट एवं क्रमांक पर सही एवं गलत का निशान लगाये।

- आवेदन पत्र शुल्क रू. 1000/– का ड्राफ्ट अथवा वि.वि. रसीद
- निरीक्षण एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 10000/– का ड्राफ्ट
- (यदि देय हो) विलम्ब शुल्क रू. 500/– का ड्राफ्ट

1. सोसायटी/ट्रस्ट/फाउण्डेशन के मान्यता/महाविद्यालय पंजीकरण प्रमाण–पत्र
2. सोसायटी/ट्रस्ट/फाउण्डेशन के कार्य–उद्देश्य एवं नियमावली (Memorandum of Association & Rules & Regulations) की प्रति
3. प्रबंधकारिणी के सदस्यों के नाम, व्यवसाय एवं पूर्ण पता सहित सूची
4. इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरवर्ती कार्यक्रम चलाये जाने के संबंध में प्रबंधकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव
5. विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्यता एवं संबद्धता पत्र की प्रति।
6. भूमि भवन के मालिकाना दस्तावेज अथवा किरायानामा
7. शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, एवं प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का विवरण के आउट प्लान संलग्न करें ।
8. शैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम, शैक्षणिक योग्यता, सेवाकाल, अनुभव, अंशकालिक/पूर्णकालिक आदि सहित)
9. गैर शैक्षणिक स्टाफ की सूची (नाम, शैक्षणिक योग्यता सेवाकाल, अनुभव, अंशकालिक/पूर्णकालिक आदि सहित)
10. विगत तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा अंकेक्षित रिपोर्ट की प्रति।

ukV % mijkDr nLrkot lyXu fd;k tkuk vfuok;l g vU;Fkk dh fLFkfr e vkonu i= fopkj ;kX; ugh gkxkA

gLrk{kj

dk;ky; mi;kx grq

vkonu i= ikfIr Øekd -- fnukd ---------------------------

fVIi.kh